

प्रेषक ,

आर०एन०एस०यादव

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,

फिरोजाबाद ।

प्रयोजन अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 30 जनवरी, 2019

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रु.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र- शिकोहाबाद से संबंधित कार्यों हेतु रु. 499.88 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु. 499.88 लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठासी हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रु.में)				
वि०स० क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1 शिकोहाबाद	ग्राम लालऊ में बिजली घर से माता के मंदिर होते हुए शिकरगढ़ तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.00	137.67	137.67
2 शिकोहाबाद	कल्याणपुर-भरतपुर मार्ग से रंजीतपुरा तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.00	136.54	136.54
3 शिकोहाबाद	फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग के ग्राम शिकरपुर से ग्राम भलादीपुरा समपर्क मार्ग का पुनः निर्माण कार्य	1.70	74.25	74.25
4 शिकोहाबाद	बेसई मोहम्मदपुर मार्ग से मुखिया महाविद्यालय होते हुए ठार त्रिलोकी गढ़ी तिवारी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.30	151.42	151.42
	योग वि०स० क्षेत्र शिकोहाबाद	8.00	499.88	499.88

- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Arvind Kumar

अवर अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड, फिरोजाबाद

03/01/21

- 4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।
- 5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को, शासनी स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
- 7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
- 8- ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रिमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियाँ तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Arvind Kumar

08/01/21
अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड, फिरोजाबाद

- 16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
- 17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
- 18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- 19- समस्त आवश्यक वृक्षानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 22- मा० मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग हए अतः स्वीकृत धनराशि के सौधेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, 30 प्र०, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तथार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।
- 23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
- 2- उपर्युक्त कार्यों की मंदा पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Arvind Kumar

अवर अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

प्रखण्ड, फिरोजाबाद

(आर०एन०एस०यादव)
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हए अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हए।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती हए।

संख्या: 91/2019/228(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
- 3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र०शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
- 5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
- 7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 8- मण्डलायुक्त, आगरा ।
- 9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
- 10- मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद ।
- 11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद ।
- 12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
- 13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद ।
- 14- अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फिरोजाबाद ।
- 15- अनुसचिव, मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
- 16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर०एन०एस०यादव)
विशेष सचिव

Arvind Kumar

08/8/21

अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
प्रखण्ड, फिरोजाबाद

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।